

## अनुसूची

बैंक .....

पता.....

मुख्य महाप्रबंधक  
निजी क्षेत्र बैंक प्रभाग  
बैंकिंग विनियमन विभाग  
भारतीय रिजर्व बैंक  
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

महोदय,

### शेयरों के सकल शेयरधारिता<sup>1</sup> के निर्गम का ब्यौरा

हम निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शेयरों के निर्गम एवं मूल्य निर्धारण पर भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश के अनुसार आवश्यक सूचना नीचे दे रहे हैं।

#### 1) शेयरों के निर्गम का ब्यौरा

क्र. सं.	निर्गम की तिथि	निर्गम का प्रकार	किए गए निर्गम का आकार				निर्गम हेतु आवंटितों की संख्या	निर्गम से पूर्व		निर्गम के बाद		
			शेयरों की संख्या	प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	प्रत्येक शेयर का प्रीमियम	जुटाई गई राशि		चुकता पूंजी	आरक्षित निधियां	चुकता पूंजी	आरक्षित निधियां	5% या उससे अधिक समग्र शेयरधारिता रखने वाले शेयरधारकों की सूची*

\*ऐसी शेयरधारिता के लिए आरबीआई अनुमोदन की तिथि के साथ

<sup>1</sup> सकल शेयरधारिता का अर्थ वही होगा जो निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों या मताधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्वानुमोदन विषय पर भा.रि.बैं. के मास्टर निदेश में परिभाषित है। बैंक उपर्युक्त शेयरधारकों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियमन, 1949 की धारा 12ख (5) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

- 2) आईपीओ/एफपीओ/अधिमानी निर्गम/क्यूआईपी/राईट्स इशू के बाद 5% या उससे अधिक सकल शेयरधारिता<sup>2</sup> का ब्योरा प्रस्तुत करने हेतु प्रारूप

क्र.सं.	आबंटितों के नाम	आबंटन के पूर्व धारित शेयरों की संख्या	आबंटन के पूर्व कुल चुकता शेयर का %	आबंटन हेतु अनुमोदित शेयरों की संख्या	चुकता शेयरों को अब आबंटित शेयरों का %	शेयरों की कुल सं. (निर्गम के उपरांत)	*कुल चुकता शेयरों का % (अर्थात् निर्गम के उपरांत शेयरधारिता का समग्रता प्रतिशत)
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(क+ग)	(ख+घ)

\*यदि 5% या अधिक हो, ऐसी शेयरधारिता हेतु आरबीआई अनुमोदन की तिथि

अनुलग्नक:

- 1) बोर्ड/वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के संकल्प की प्रति
- 2) विवरणिका/प्रस्ताव पत्र की प्रति

दिनांक:

हस्ताक्षर  
(नाम एवं पदनाम सहित)

.....

<sup>2</sup> सकल शेयरधारिता का अर्थ वही होगा जो निजी क्षेत्र के बैंकों में शेयरों या मताधिकारों के अधिग्रहण के लिए पूर्वानुमोदन विषय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेश में परिभाषित है। बैंक उपर्युक्त शेयरधारकों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12ख (5) का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।